

प्रक.

आरक्षित विचारी  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

संवा नं

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, 13 दिसम्बर 2019

विषय- कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ रोड एन०एच०-24 (एन०एच०-60) किमी० 05 दांयी पट्टी खरसरा रोड-30 ग्राम-दौलताबाद तहसील-कोल जनपद-अलीगढ़ में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रस्तावित 0.07585 हेक्टेयर रक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर जालीकी प्रयोग के अनुमति के संबंध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-930/11-सी-एफ०पी०/पू०पी०/२६३/२६३६/2017, दिनांक 08.11.2019 का कृपया सदर्थ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षणोपरान्त यह पाया कि विषयगत प्रस्ताव में कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) का उल्लेख किया गया है अर्थात् प्रयोक्त द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना भारत सरकार राज्य सरकार की अनुमति के निर्माण कार्य करा गया है, जित्त कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 का उल्लंघन हुआ। अतएव इसके दृष्टिगत निम्न विन्दुओं पर विचार करते हुये निराकरण कराने का कष्ट करें-

- 1- प्रस्ताव के भाग-2, भाग-3 एवं भाग-4 में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत संस्तुति नहीं की गयी है।
- 2- प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है कि उल्लंघन कब से किया गया है।
- 3- प्रस्ताव के पृष्ठ-54, 56 पर प्रयोक्त का हस्ताक्षर नहीं है।
- 4- पृष्ठ-55 पर रक्षित Site Inspection Report के फटा भाग में विन्दु-ए के संबंध में कथन रिक्त किया गया है।
- 5- उल्लंघन के संबंध में Inspecting officer के जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है।
- 6- पृष्ठ-57 पर रक्षित वन संरक्षक अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट की मॉडिस दी गयी है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा जी स्थिति में विशिष्ट कार्यालयों किंगे जाने का कथन किया गया है। इस संबंध में अकमत करतब ज्ञान है कि उक्त अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु एजेन्सी द्वारा 60 दिनों में अपना पक्ष रखा गया है कि नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।
- 7- प्रजापता एजेन्सी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-32/33 के अन्तर्गत अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाये जाने का कथन किया गया है। विभिन्न धाराओं में कार्यालयों के अन्दर हुये गये कंक इजाजत किया गया है परन्तु किसी तरह का पत्रिकर तिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
- 8- पृष्ठ-73 पर रक्षित ले आउट प्लान पठनीय प्रति उपलब्ध है?
- 9- एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उल्लंघन किया गया अथवा प्रस्ताव को अग्रसर के पहले?

कार्यालय वन संरक्षक  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़  
इन्डेक्स सं० 1756/114-1  
दिनांक 23/12/19

D/Man  
आ०का०कर  
वन संरक्षक  
23/12

संवा नं  
मुख्य वन संरक्षक  
उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1240/11सी-FP/UP/Others/26736/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 20, 2019

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, दौलताबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन०एच० 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला-मुस्ताबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़  
दिनांक 1965/114-1 दिनांक 24-12-19 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ

20/12/19  
(रमेश कुमार पाण्डेय)

Lt. ST Page No.1189

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय वन संरक्षक  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

निदेशक, लखनऊ (मार्ग) अलीगढ़, एन०एच० 24, आशय से प्रेषित  
कि उक्त आशय से सूचना एवं अभिलेख लखनऊ को प्रेषित काला पूर्व प्रेषित करें।

वन संरक्षक  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़